Santal MINT 134100 7/11/16 mt 921 034

२० क्० ग्रेप्ता चाथिक मसिस्ट्रेट प्रथम श्रण

स्वीकार।

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री के०के० शुक्ला। अभियुक्त जगन्नाथ सहित अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला। अनुपस्थित अभियुक्त रामलखन का हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार

अभियुक्त निरंजन प्रसाद आदेश पत्रिका दिनांक 11.03.11 के अनुसार मृत घोषित।

अभियुक्त रनसिंह, सुक्ता एवं महेन्द्रसिंह अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु नियत है।

परिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अभियुक्तगण के उपस्थित न हो

पनि से विचारण विलंबित हो रहा है। परिवादी 80 वर्षीय महिला है। ऐसे में अनुपस्थित 851-11 अभियुक्तगण का विचारण प्रथक कर प्रकरण में आदेश करने का निवेदन किया है।

Witness No.

द्वारा 18 中 काए वर्ष 20 बार आदेषि न्यायालय 冲 है। दप्रस प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण को कई जारी होने पर भी उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाई है। दप्रस हुए संशोधन के प्रकाश में प्रस्तुत मामला अनन्यतः मान0 सत्र सन अनन्यतः हुए संशोधन के प्रकाश में प्रस्तुत मामला अनिवारणीय हैं जिसमें विवारण प्रभावित हो रहा है।

要 वारट म की सक किया जाता है। उन्हें स्थाई गिरफ्तारी व अभियुक्तगण के लिए प्रकरण लंबित होमे ऐसे में अभियुक्त रनसिंह पुत्र ज्वालासिंह सिकरवार, सुक्ता साफ्ता पत्नी मुकेशसिंह एवं महेन्द्रसिंह पुत्र हाकिमसिंह का विवारण दप्र विधिवत जारी किए जावें जिस पर अन्य अभियुक्तगण के लिए प्रव तिथि व सी0आई0एस0 नंबर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जावे। ज्वालासिंह किया अधीन प्रथक धारा 299 एवं 317–2 के विधिवत जारी किए जावें 1 冲 怎 धारा

निवेदन किया। प्रस्तुत करने का उभयपक्षो द्वारा उपार्पण तर्क

उपार्पण तर्क सुने गए।

रणीय द्रमस संज्ञान प्रबंधक जने के निरिह तव जगनाथ विच 冲 7 अधीन शाखा 思 अभियुक्त क्रि द्वारा निया गया। उक्त प्रकरण में अभी कोई भी सारवान कार्यवाही नहीं हुई है भाद्वि के केर्द तथा ऋण प्राप न्यायालय करने हेतु प्रस्तुत श्रीतिय ब 34 KH H3 심 के अनुसार बैंक से ऋण प्राप्त साफ्ता विरुद्ध धारा 420, 467, 468, द्वारा पहचान कराकर निरंजन प्रसाद आधार संशोधन 2008 के प्रकाश में मामला अनन्यतः मान0 उसे रामलखन शर्मा द्वारा कूटरवित दस्तावेजों के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420 4 द्वारा परिवादी राममूर्ति के स्थान पर सुक्ता महेन्द्रसिंह के द्वारा पहचान कराकर नि उपार्पण योग्य है। परिवाद प्रस्तुत

0

ओर उपापित किया जाता प्रकरण मान० सत्र न्यायालय भिण्ड की अतः

उपार्षण की सूचना लोक अभियोजक को भेजी जावे।

अपर दिनांक को मान0 आगामी 18 गया कि महोदय गोहद के न्यायालय में उप0 अभियुक्तगण को निर्विशित किया

本 दिनांक कर आगामी प्रवर्तन लिपिक प्रकरण व्यवस्थित न्यायालय मिण्ड भेजने की व्यवस्था करें।

न्यायाधीश

अभियुक्तगण मोहद में न्यायालय स्र प्रकरण मान० अपर

दिनांक 25.11.16 को पेश हो।

